

फर्रू अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्राथी
भूसराम पुत्र सोभाराम जाली मराठिया
जिलादारी तहसील बाली

बनाम

अप्राथी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

विषय मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/83

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 138 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम जो
इस हुकम की तामिल में जारी
हवे

20/2/25

वकील प्राथी श्री ओमप्रकाश दवे उपस्थित।

प्राथी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 138 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्राथी पेश कर राजस्व रेकर्ड में ग्राम भारला पटवार हल्का भंदर के खाता संख्या 67 में झुटिपूर्ण नाम भूसराम पुत्र पनाराम के स्थान पर भूसराम पुत्र सोभाराम किये जाने का निवेदन किया। अप्राथी राज पेशीकार उपस्थित। अप्राथी राज पेशीकार ने प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में अनापत्ति जाहिर की। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय को सुनने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में ग्राम भारला पटवार हल्का भंदर के खाता संख्या 67 में झुटिपूर्ण नाम भूसराम पुत्र पनाराम के स्थान पर सही नाम भूसराम पुत्र सोभाराम उर्फ पनाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का भंदर आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



20/2/25
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली